6.11.24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उप.। प्रकरण मे प्रार्थी के बयान दर्ज किये गये। प्रार्थी का प्रा.-पत्र रजा.मी. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा.-का.। पत्रावली दाखिल शुमार होकर फैसल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
## पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

**प्रकरण संख्या 63/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र**

अनवान

1 नन्दलाल पुत्र जयराम गाडरी जाति गाडरी नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

2 चन्द्र प्रकाश पुत्र जयराम गाडरी नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

3 शंकर पुत्र अमरा गाडरी नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

4 नाना पिता मगना गाडरी नि0 पातलियास तह0 हमीरगढ हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

....... प्रार्थी

वनाम

1 बालू पुत्र रूपा गाडरी नि0 पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

2 नारायण पुत्र रूपा गाडरी नि0 पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

3 सुरेन्द पुत्र हीरा गाडरी नि0 पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

4 शंकर पुत्र हीरा गाडरी नि0 पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

5 खुशबू पुत्री हीरा गाडरी नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता प्यारी बेवा हीरा गाडरी नि0 पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

6 प्यारी बेवा हीरा गाडरी नि0 पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

7 प्रेम पुत्री रूपा गाडरी नि0 पातलियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

**<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन</u>**

उपस्थित :::–

श्री प्रवीण चौरडीया—— प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ
श्री सुरेश चन्द्र अहीर ——अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08

**<u>निर्णय</u>**

दिनांक 12–11–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 04.01.2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है:–

यह कि प्राथर्थीगण की ग्राम पातलियास, पटवार क्षेत्र पीपली. भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप, तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा में निम्नानुसार सामलाती कृषि आराजीयात स्थित है:–

जिसकी खाता संख्या नयी 155 व पुरानी 142 खसरा संख्या 995 क्षेत्रफल 0 बीघा 05 बिस्वा उक्त आराजी कुआ है जिसका उपयोग प्रार्थीगण अपनी अन्य आराजी में रानी ले जाने के लिये

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

करते है। यह कि प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजीयात में आने जाने के लिए करीब 50 वर्षो से भी अधिक समय से ग्राम पातलियास से आराजी संख्या 1004 के उत्तर में स्थित तथा आराजी संख्या 1000 के दक्षिण दिशा में स्थित रास्ते का उपयोग करते आ रहे है जो कि विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम पर दर्ज है, का उपयोग उपभोग बतौर रास्ते के रूप में आने जाने के लिए कर रहे हैं तथा आराजी संख्या 1004 व 1000 में से ही कुए पर बैलगाडी, ट्रेक्टर, संजबेल, मवेशी इत्यादि लाते ले जाते हैं। इस प्रकार आराजी संख्या 1004 व 1000 में 50 वर्षो से भी अधिक पुराना मार्ग होकर उसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण करते आ रहे है।यह कि ऐसे मार्ग को वाद के साथ संलग्न नक्शे में लाल रेखाओं के मध्य क से ख के रूप में बताया गया है जो 15 फिट चौडा है। प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजी संख्या 995 पर जाने आने, संजबेल, मोटर इन्जन, आदि लाने ले जाने व सामान लाने ले जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है अन्य कोईवैकल्पिक सरता मौके पर या राजस्व रेकार्ड में वर्तमान में नहीं है, आराजी संख्या 1004 के दक्षिण से होता हुआ रास्ता आराजी संख्या 1000 के उत्तर में होता हुआ प्रार्थीगण की आराजी 995 पर पंहुचता है जिसका उपयोग प्रार्थीगण 50 साल से अधिक अर्से से निरन्तर और निर्वाध रूप से करते आ रहे है। यह कि अभी हाल ही में दिनांक 10.11.2016 को विपक्षीगण ने मौके पर रास्ता अवरूद्ध करने के दुराशय से बाड, थोर इत्यादि डालना शुरू कर दिया और मौके पर रास्ता बन्द करना चाईसे है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि रास्ता क्यू अवरूद्ध कर हो यह रास्ता तो 50 वर्षो से प्रार्थीगण उपयोग में ले रहे हैं तथा विपक्षीगण जो भी नियमानुसार प्रतिकर लेना चाहे प्रार्थीगण देने को तैयार है, तो विपक्षीगण लडाई झगडे पर उतारू हुए और विपक्षीगण ने धमकी दी कि हमारी प्रशासन और पुलिस में बहुत पंहुच है। यह रास्ता तो बन्द करके रहेंगे और कभी भी प्रार्थीगण को उनकी आराज्जीयात पर नहीं जाने देंगे। इन परिस्थितियों में चूंकि 50 वर्ष पुराना रास्ता मौके पर विद्यमान है और अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के आराजी पर पहुंचने के लिए नहीं है आराजी संख्या 1004 व 1000 में स्थित रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यान्तिक आवश्यकता है। इसके बिना प्रार्थीगण अपनी आराजी / कुए पर नहीं जा आ सकते है और न ही सामान आदि ला ले जा सकते हैं। अत 15 फिट चौड़ा इस निमित्त दिया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थीगण इस बाबत जो भी नियमानुसार प्रतिकर हो अदा करने को तत्काल तैयार है। इससे विपक्षी को कोई क्षांत भी नहीं होगी और उसका पूरा प्रतिकर भी उसको मिल जाएगा। इस कारण यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि रबी की फसल बुआई का मौसम है। प्रार्थीगण को अपनी अन्य आराजियात में पानी ले जाने के लिये आराजी संख्या 995 जिसमें यह कुआ स्थित है में जाना अत्यन्त आवश्यक है, यदि रास्ता रोकर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपनी अन्य आराजियात में सिंचाई हेतु पानी नही लेजा सकेंगे जिससे प्रार्थीगण की फसल को नुकसान होगा और प्रार्थीगण को भारी क्षति हो जाएगी जिसका पुर्नभरण नहीं हो सकेगा। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरगा विपक्षीगण की आराजी संख्या। 1004 के उत्तरी भाग तथा आराजी संख्या 1000 के दक्षिणी भाग में स्थित रास्ता जोकि प्रार्थीना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में में क से ख तक लाल रेखाओं से दर्शाया क्षेत्र मार्ग हेतु जो कि विद्यमान है, विहित किया जावे और राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे और इस निमित्ता जो भी नियमानुसार प्रतिकर हो प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है। यह भी आदेश दिया जावे कि विपक्षीगण इस मार्ग में कोई बाधा व रूकावट न डाले और प्रार्थीगण को मार्ग के तौर पर उपयोग उपभोग करने व समान, संजबेल, मोटर इत्यादि लाने व ले जाने में बाधा व रूकावट न डाले। यह भी प्रार्थना है कि यदि इस कार्यवाही के दौरान कोई बाधा उत्पन्न कर दी जाती है या मार्ग रोक दिया जाता है अथवा दीवार आदि बना दी जाती है तो विपक्षीगण के व्यय पर उसको हटाकर पूर्व स्थिति प्रतिस्थापित की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 17-02-2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, दलील/वजह प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब नही दिये जाने से दिनांक 24.05.2022 को अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किये जाने की आज्ञा पारीत की गई। अप्रार्थीगण दिनांक 02.02.2023 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0(बाबत जवाब खोला जाने बाबत) प्रस्तुत किया गया। प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0(बाबत जवाब खोला जाने बाबत) दिनांक 27-05-2024 को अस्वीकार किया जाकर खारीज की जाने की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा पातलियास पटवार मण्डल क्षेत्र पीपली तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 के खातेदारी खसरा संख्या 1000 रकबा 0.5058 में से 0.0315 हैक्टयर (67 मीटर बाई 5 मीटर/335 वर्गमीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है।
2. प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।
3. रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।
4. प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

अतः मौजा पातलियास पटवार मण्डल क्षेत्र पीपली तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 के खातेदारी खसरा संख्या 1000 रकबा 0.5058 में से 0.315 हैक्टयर (67 मीटर बाई 5 मीटर/335 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

## –:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा पातलियास पटवार मण्डल क्षेत्र पीपली तहसील हमीरगढ स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 के खातेदारी खसरा संख्या 1000 रकबा 0.5058 में से 0.0315 हैक्टयर (67 मीटर बाई 5 मीटर/335 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.0315 हैक्टेयर (335 वर्गमीटर) की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 (आराजी संख्या 1000 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( नेहा छीपा )
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with CamScanner